प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 245/2004

एकल पीठ - माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

हिरमा मरकामी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित: -

श्री प्रफुल्ल एन. भरत, अभियुक्त - अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

श्री यू.के.एस.चंदेल, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(31-03-2006 को पारित)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह अपील श्री आर.एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट), बस्तर, जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2003 में दिनांक 12-01-2004 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस अधिनियम, 1985 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा-20(ख) (ii) (ख) के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 5 वर्ष के कारावास और 25,000/- रुपए के जुर्माने और जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा से दंडित किया गया था।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 29-09-2003 को गुप्त सूचना मिलने पर कि कोंटा से दुर्ग आ रही पायल बस में एक व्यक्ति गांजा ले जा रहा है और सीट क्रमांक 23 पर बैठा है, बोधघाट पुलिस थाना के सहायक उपनिरीक्षक दिवाकर उपाध्याय, अभियोजन साक्षी -1, उक्त सूचना को प्र.पी-1 के माध्यम से दर्ज करने के बाद, घटनास्थल पर पहुँचे। जगदलपुर के बस स्टैंड पर, अपीलार्थी बस के अंदर बैठा था और उसकी सीट के नीचे एक लाल-हरे रंग का एयर बैग रखा हुआ था। आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के बाद, एयर बैग की तलाशी ली गई और

उसमें 4 पैकेट पाए गए जिनमें गांजा जैसा पदार्थ रखा गया था। वजन करने पर चारों पैकेट का वजन क्रमशः 4.500 किलोग्राम, 2.500 किलोग्राम, 1.500 किलोग्राम और 650 ग्राम था, इस प्रकार कुल 9.150 किलोग्राम गांजा निकला। प्रत्येक पैकेट से 25 ग्राम के दो नमूने लिए गए और उन्हें सील कर दिया गया और शेष गांजा को भी सील कर दिया गया। 25 ग्राम प्रत्येक के 8 नमूना पैकेट और उपरोक्त एयर बैग में सीलबंद हालत में रखे गए शेष गांजे को दिनांक 30-09-2003 को बी.पी. जोशी, मालखाना मोहर्रिर, अभियोजन साक्षी-2 थाना-बोधघाट को सौंप दिया गया और उसी दिन मालखाना पंजी में प्र.पी-23(सी) के तहत प्रविष्टि की गई। दिनांक 02-10-2003 को सील के नमूने की छाप के साथ चार पैकेट आरक्षक राजेश सिंह के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए और उस आशय की प्रविष्टि मालखाना पंजी में दिनांक 05-10-2003 को रोजनामचा सान्हा 269 में की गई। जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक, बस्तर के पत्रक प्र.पी-19 के साथ चार नमूना पैकेट, आरक्षक राजेश सिंह द्वारा नहीं, बल्कि थाना- बोधघाट के एक अन्य आरक्षक जीतू राम क्रमांक 90 द्वारा काफी देरी के बाद दिनांक 10-10-2003 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचाए गए। दिनांक 05-01-2004 के प्रतिवेदन प्र.पी-25 के तहत यह राय दी गई कि सभी चार पैकेटों में गांजा था। जांच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा-20(ख)(ii)(ख) के तहत अभियोजित किया गया। अपीलार्थी ने अपना अपराध अस्वीकार किया तथा निर्दोष होने का दावा किया तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अभियोजन पक्ष ने 4 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को पैरा-1 (उपरोक्त) में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भरत ने निम्नलिखित आधारों पर विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिये गये दंड और दोषसिद्धि का विरोध किया है:-

(क) अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि गांजा जैसे पदार्थ से युक्त एयर बैग जब्ती के समय अपीलार्थी के सचेतन कब्जे में था।

(ख) अधिनियम की धारा-52 (3) और धारा-55 का पूर्णतः अनुपालन न किया जाना अभियोजन को दूषित करता है।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चार नमूना पैकेट दिनांक 02-10-2003 को आरक्षक राजेश सिंह को सौंपे जाने के बाद हाथ बदल गए और अंततः दिनांक 10-10-2003 को आरक्षक जीतू राम द्वारा सौंपे गए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परिक्षित पदार्थ वही नहीं था जिसे अपीलार्थी से जब्त किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. ***गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2002 (खंड-9) सर्वोच्च न्यायालय केस-595, अवतार सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य***, 2002 (खंड-7) सुप्रीम कोर्ट केस-419, ***भोला राम कुशवाहा बनाम मध्य प्रदेश राज्य***, **ए.आई.आर.-2001-*सर्वोच्च न्यायालय* -229**, ***राजस्थान राज्य बनाम दौलत राम***, **ए.आई.आर.-1980-*सर्वोच्च न्यायालय*-1314**, तथा **सुखचंद उर्फ सुदरू दास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के मामले में दिनांक 30-01-2006 को तय दाण्डिक अपील संख्या 925/2002 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, उपरोक्त तर्क के समर्थन में प्रस्तुत किए गए । दूसरी ओर, विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री यू.के.एस. चंदेल ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिए।

5. परस्पर विरोधी तर्को को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। अब यह निर्णयों की श्रृंखला से भली-भांति स्थापित हो चुका है कि अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अंतर्गत अभियोजन में, अभियोजन पक्ष को संदेह से परे यह स्थापित करना होगा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परीक्षित पदार्थ वही था जिसे अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किया गया था और सील के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं थी। यह सुनिश्चित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को दो बातें स्थापित करनी होंगी। पहली यह कि जिस समय गांजा जब्त किया गया था, उस समय

जब्ती करने वाले अधिकारी ने पदार्थों और उनसे लिए गए नमूनों को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई मुहर का नमूना छाप भी तैयार किया था। मुहर के ऐसे नमूने की छाप को तुलना के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भी भेजा जाना चाहिए। दूसरे, अधिनियम की धारा-52(3) और धारा-55 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए नमूने के पैकेट सौंपने से पहले, संबंधित थाने के थाना प्रभारी को नमूने के पैकेटों और मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सीलबंद अवस्था में पहुँचाए गए शेष पदार्थ पर अपनी मुहर लगानी चाहिए। अधिनियम की धारा-52(3) और धारा-55 में निहित प्रावधान अभियुक्त-अपीलार्थी के हित में हैं ताकि उसकी निर्दोषता सिद्ध हो सके।

6. वर्तमान मामले में, ज़ब्ती पत्रक प्र.पी-12 यह नहीं दर्शाता है कि नमूना पैकेटों या शेष पदार्थों को सील करने के लिए प्रयुक्त सील का नमूना छाप तैयार किया गया था और 4 नमूना पैकेटों ~~के साथ~~ या सील का एक अलग नमूना तैयार किया गया को वि.वि.प्र को भेजा गया था । कथित तौर पर गांजा दिनांक 30-09-2003 को ज़ब्त किया गया था और उसी दिन सुरक्षित अभिरक्षा में मालखाना मोहर्रिर बी.पी.जोशी अभियोजन साक्षी -2 को सौंप दिया गया था। हालांकि, यह दिखाने के लिए बिल्कुल कोई साक्ष्य नहीं है कि नमूना पैकेटों को शेष पदार्थ के रूप में सौंपे जाने के समय, थाना बोधघाट के थाना प्रभारी ने भी अधिनियम की धारा -55 के तहत अपनी मुहर लगाई थी। इस प्रकार, यह अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः अपालन है। मालखाना पंजी प्र.पी-23 (सी) में प्रविष्टि यह भी नहीं दर्शाती है कि उपरोक्त लेखों को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सील की नमूना छाप भी उपरोक्त लेखों के साथ सौंपी गई थी। प्र.पी-24 आरक्षक राजेश सिंह नंबर 243 थाना. बोधघाट को दिया गया कर्तव्य प्रमाणपत्र है, जो चार नमूना पैकेटों को दिनांक 02-10-2003 को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने के लिए दिया गया था। हालाँकि, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि रोज़नामचा सान्हा में या कम से कम मालखाना पंजी प्र.पी-23(सी) में उसी दिन इस आशय की प्रविष्टि क्यों नहीं की गई। मालखाना पंजी प्र.पी-23(सी) के कॉलम संख्या 8 में की गई प्रविष्टि दर्शाती है कि चार नमूनों के पैकेट एक अन्य आरक्षक संख्या

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

192 के ~~साथ~~ माध्यम से भेजे गए थे। इस आरक्षक का नाम भी नहीं दिया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि चार नमूनों के पैकेट रासायनिक विश्लेषण के लिए दिनांक 10-10-2003 को थाना-बोधघाट के एक आरक्षक जीतू राम संख्या 90 के माध्यम से प्राप्त हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजे गए चार नमूना पैकेट, दिनांक 02-10-2003 को आरक्षक राजेश सिंह क्रमांक 243 से आरक्षक क्रमांक 192 और अंततः दिनांक 10-10-2003 को आरक्षक जीतू राम क्रमांक 90 के हाथों में स्थानांतरित हुए, जिन्होंने अंततः पैकेटों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पहुँचाया। यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि दिनांक 02-10-2003 को मालखाने से निकाले जाने के बाद और दिनांक 10-10-2003 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुॅचने से पहले, चारों नमूना पैकेट किसके पास रखे गए थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ज़ब्ती के दौरान, सील की नमूना छाप तैयार नहीं की गई थी, अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः पालन न किया गया था और साथ ही, मालखाने से आठ दिनों तक निकाले जाने के बाद नमूनों के पैकेटों के स्वामित्व में परिवर्तन की परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचाती हैं कि नमूनों के पैकेटों की सील के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ***राजस्थान राज्य बनाम दौलत राम*, ए.आई.आर.-1980-सर्वोच्च न्यायालय-1314** में दर्ज मामले का अवलंब लेते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि केवल इसी आधार पर, विद्वान अधीनस्थ न्यायलय के न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दण्ड अपास्त किये जाने योग्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. यह सुस्थापित है कि जहां आरोपी के शरीर की तलाशी के दौरान गांजा जब्त नहीं किया गया है, अभियोजन पक्ष को यह भी स्थापित करना आवश्यक है कि जिस कंटेनर में गांजा पाया गया था वह अपीलार्थी के सचेतन कब्जे में था। जब्ती ज्ञापन प्र.पी -12 के अवलोकन से उस स्थान का कोई विवरण नहीं मिलता है जहां बस के अंदर एयर बैग रखा गया था। सहायक उप निरीक्षक दिवाकर उपाध्याय ने पैरा-13 में कहा कि एयर बैग उस सीट के नीचे रखा गया था जिस पर अपीलार्थी बैठा था। छविलाल नेगी अभियोजन साक्षी -3 ने कहा कि अपीलार्थी के पास एक बैग

था, लेकिन उस स्थान का उल्लेख नहीं किया जहां बैग बस के अंदर रखा गया था। मनोज जैन अभियोजन साक्षी -4 ने प्रति-परीक्षण में पैरा-2 में कहा है कि एयर बैग अपीलार्थी के पैरों के पास रखा था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अपीलार्थी से इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। ***अवतार सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य*, 2002 (खंड-7) में सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा प्रतिवेदित मामले-419- में यह माना गया कि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने से पहले कब्जा स्थापित किया जाने वाला मुख्य तत्व है। उस मामले में, अपीलार्थी ट्रक पर लदे पोस्त के भूसे के बैगों पर बैठे थे। एक अन्य अपीलार्थी वाहन चला रहा था। प्रश्न यह था कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीन अपीलार्थी, जिनमें से एक वाहन चला रहा था और अन्य दो बैगों पर बैठे थे, के पास पोस्त के भूसे की ऐसी हिरासत या नियंत्रण था जिससे सचेत कब्जा हो। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि युक्तियुक्त संदेह से परे इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल था क्योंकि अपीलार्थी वाहन में एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। ऐसे व्यक्ति, जो सबूत या किसी और चीज के अभाव में केवल बैग पर बैठे थे, से माल पर सचेतन कब्जा होने की उपधारणा नहीं की जा सकती थी। उपरोक्त परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय ने एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा-15 के तहत अपीलार्थीओं की दोषसिद्धि और दण्ड को अपास्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी बस के अंदर बैठा था और बस में अन्य यात्री भी यात्रा कर रहे थे। केवल इसलिए कि एयर बैग उस सीट के नीचे रखा था जिस पर अपीलार्थी बैठा था, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त एयर बैग और उसकी सामग्री पर अपीलार्थी का सचेतन कब्ज़ा था। अपीलार्थी के सचेतन कब्ज़े को सिद्ध करने वाले किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में और जब्ती पत्रक प्र.पी 23 (सी) में उस स्थान के बारे में कोई विवरण न दिए जाने के कारण जहाँ एयर बैग वास्तव में रखा गया था, मेरा यह सुविचारित मत है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए

अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी के पास एयर बैग और उसकी सामग्री सचेतन रूप से मौजूद थी।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने के पश्चात्, मैं इस विचारित राय पर हूं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दण्ड को अपास्त किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है । अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(बी) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत दिये गये दण्ड को अपास्त किया जाता हैं। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो उसे अपीलार्थी को वापस कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Pemin Sahu.